

निविदा प्रारूप शुल्क रू0 300/- (वेबसाईट से प्रारूप डाऊनलोड करके निविदा भेजने के लिए निविदा प्रारूप शुल्क का ड्राफ्ट जो प्राचार्य,जनवि-धुनगिर के पक्ष में देय हो, अवश्य संलग्न किया जाय, अन्यथा प्रेषित अमान्य समझी जायेगी और उसे तुलनात्मक विवरण में शामिल नहीं किया जायेगा ।)

किराये पर बस/मिनी बस एवम् टैक्सी हेतु निविदा प्रपत्र वित्त वर्ष 2017-18

मद हेतु वांछित धरोहर /बयाना राशि रू0 5000-00 का विवरण

बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....रू0..... निर्गतकर्ता बैंक.
 शाखा.....
 फर्म का न नाम व पूर्ण पता.....

क्र.स.	वस्तु का नाम	ब्राण्ड/साईज तथा अन्य विश्लेषण	दर अंकन का मानक	दरों का अंकन
	उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड से अलग राज्यों में आयोजित होने वाली खेलकूद/सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, प्रदर्शिनियों अथवा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं/गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छात्र-छात्राओं को ले जाने व लाने हेतु किराये की बसों/मिनी बसों व टैक्सियों (बोलैरो/मैक्स/क्रूजर इत्यादि) की वर्ष के दौरान बसों की आवश्यकता होती है। कृपया निम्न विवरणानुसार किराया अंकित करें ।			
1	उत्तराखण्ड राज्य की परिसीमा अन्तर्गत किराया-भाडा:-			
	I) पर्वतीय दूरियों के लिए			
	अ) बस किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी0	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी0	
	ब) मिनी बस किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी0	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी0	
	स) बोलैरो,मैक्स, क्रूजर इत्यादि किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी0	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी0	
	II) मैदानी दूरियों के लिए			
	अ) बस किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी0	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी0	

क्र.स.	वस्तु का नाम	ब्राण्ड/साईज तथा अन्य विश्लेषण	दर अंकन का मानक	दरों का अंकन
		क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
	ब) मिनी बस किराया	ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
	स) बोलैरो, मैक्स, क्रूजर इत्यादि किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
2	उत्तराखण्ड राज्य व अन्य प्रदेशों की परिसीमा अन्तर्गत सम्मिलित यात्रा के लिए किराया-भाडा:-			
	I) पर्वतीय दूरियों के लिए			
	अ) बस किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
	ब) मिनी बस किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
	स) बोलैरो, मैक्स, क्रूजर इत्यादि किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
	II) मैदानी दूरियों के लिए			
	अ) बस किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
	ब) मिनी बस किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
	स) बोलैरो, मैक्स, क्रूजर इत्यादि किराया	क) यदि छात्र-छात्राओं को दोनों तरफ की यात्रा करनी हो अर्थात् ले जाना व लाना हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
		ख) यदि छात्र-छात्राओं को केवल एक ही तरफ की यात्रा करनी हो	प्रति सवारी प्रति किमी०	
	हॉल्ट चार्जज	विभिन्न प्रतियोगिता/गतिविधियों/क्रियाकलापों में प्रतिभागी विद्यार्थियों को वैन्यू अर्थात् आयोजन स्थल पर रुकना पड सकता है। ऐसी स्थिति में यदि हॉल्ट चार्जज अपेक्षित हो तो उसे दर्शाना आवश्यक है	प्रति दिन प्रति वाहन	

क्र.स.	वस्तु का नाम	ब्राण्ड/साईज तथा अन्य विश्लेषण	दर अंकन का मानक	दरों का अंकन
--------	--------------	--------------------------------	-----------------	--------------

अन्य आवश्यक शर्तें :-

- 01) वाहन का सवारियों सहित बीमित होना आवश्यक है ।
- 02) शासन द्वारा निर्धारित रोड टैक्स इत्यादि सभी कर आगामी अवधि तक के लिए भुगतान किये गये हों ।
- 03) यात्रा समापन की तिथि तक उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्य की सीमा अन्तर्गत वाहन चलाने का परमिट अवश्य हो ।
- 04) यात्रा के दौरान देय टोल टैक्स इत्यादि वाहन स्वामी द्वारा वहन करना होगा ।
- 05) वाहन चालक (ड्राईवर) का ड्राइविंग लाइसेंस वैध होना चाहिए ।
- 06) अंकित दरें सभी प्रकार के व्यय एवं करों सहित समझी जायेंगी । उपरोक्त बिन्दु 01 से 05 एवं इनसे अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन करने होंगे । विद्यालय द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक भुगतान नहीं किया जायेगा ।

हस्ताक्षर फर्म स्वामी :

तिथि :

फर्म की पूर्णपता सहित मोहर